



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042026-272005
CG-DL-E-23042026-272005

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1932]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2026/वैशाख 2, 1948

No. 1932]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2026/VAISAKHA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

का.आ. 2005(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. S O 6087 (E) तारीख 29/12/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मिजोरम राज्य के कोलासिब जिले में NH6 के कि.मी. 138.55 से कि.मी.141 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोडाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "वांग्लैनी" और "दुहलाई" दोनों दिनांक 22 जनवरी 2026 में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मिजोरम राज्य के कोलासिब जिले में NH6 के कि.मी. 138.55 से कि.मी.141 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मिजोरम			जिले का नाम: कोलासिब		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: 'न' थिन्गदावल					
गांव का नाम: मुअलखंग					
1	पीपी- 264644/03/10/18/2023	निजी	ड्राय	1.251	लालफकावमा PP- 264644/03/10/18/2023
2	पीपी- 264644/03/10/24/2023	निजी	ड्राय	0.057	डीआर् सी लालरामंघाका PP- 264644/03/10/24/2023
3	पीपी- 264644/03/10/70/2023	निजी	ड्राय	0.359	के लालनुनमाविया PP- 264644/03/10/70/2023
Total				1.667	

[फा. सं. NHIDCL/PMU Seling/NH-6&306/Vs-LA/6/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2026

S.O. 2005(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S O 6087 (E) Dated:29/12/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH6 in the stretch of land from Km. 138.55 to Km. 141 in the district of KOLASIB in the state of MIZORAM

And whereas the substance of the said notification has been published in "*Vanglaini*" and "*Duhlai*" both on Dated 22 January 2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH6 in the stretch of land from Km. 138.55 to Km. 141 in the district of KOLASIB in the state of MIZORAM

State: MIZORAM			District: KOLASIB		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: N Thingdawl					
Village: Mualkhang					
1	PP-264644/03/10/18/2023	Private	Dry	1.251	Lalfakawma PP-264644/03/10/18/2023
2	PP-264644/03/10/24/2023	Private	Dry	0.057	Dr C Lalramnghaka PP-264644/03/10/24/2023
3	PP-264644/03/10/70/2023	Private	Dry	0.359	K Lalnunmawia PP-264644/03/10/70/2023
Total				1.667	

[F. No. NHIDCL/PMU Seling/NH-6&306/VS-LA/6/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director